संख्या- 2066 /XVII-B-1/2021-01(01)/2021

प्रेषक]

एल. फैनई]

प्रमुख सचिव]

उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक]

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग]

उत्तराखण्ड] देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याणअनुभाग देहरादूनः दिनांकः 18 अक्टूबर] 2021

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध मे।

महोदय]

उपर्युक्त विषयक आपकेपत्र संख्या 815/बजट मांग-1360/2021-22 दिनांक 04 अक्टूबर] 2021 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-424/3(150)-2019/XXVII(1)/2021, दिनांक 31.3.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची के अनुसार अवशेष धनराशि `4.65 लाख (` चार लाख पैंसठ हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. धनराशि का व्यय करते समय उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.3.2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

2. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.3.2021 के प्राविधानानुसार मदों की आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है] कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए कियाजायेगा] जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली] 2017 वित्तीय नियमसंग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम)] वित्तीय नियमसंग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम)] आय-व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगतनियमों] शासनादेशों आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली] 2017 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन कडाई से किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2022 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

9. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण-04-अल्पसंख्यको का कल्याण 001-निदेशन तथा प्रशासन-05-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश शासनादेश संख्या-130/XXVII(6)430/एक/2008/2019] दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई.डी संख्या- S21100150006, दिनांक 18 अक्टूबर] 2021 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31.3.2021 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय]

(एल. फैनई)

प्रमुख सचिव।

संख्याः - (1)/XVII-B/2021] तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित-

1. महालेखाकार] लेखा एवंहकदारी] उत्तराखण्ड] माजरा] देहरादून।

2. महालेखाकार] ऑडिट] उत्तराखण्ड] इन्दिरानगर] देहरादून।

3. जिलाधिकारी] देहरादून।

4. मुख्य कोषाधिकारी] देहरादून।

5. निदेशक] कोषागार एवंवित्तसेवाऐं] उत्तराखण्ड] 23 लक्ष्मी रोड] देहरादून।

6. महानिदेशक] सूचना एवंलोकसम्पर्कविभाग] उत्तराखण्ड] देहरादून।

7. निदेशक] एन.आई.सी.] सचिवालय परिसर] देहरादून।

8. राज्य योजनाआयोग।

9. गार्डफाईल।

आज्ञा से]

(एल. फैनई)

प्रमुख सचिव

षासनादेष संख्या- 2006/XVII-B-1/2020-01(01)/2021, दिनांक 18 अक्टूबर 2021 का संलग्नक।

1. अनुदान संख्या-15 के लेखाषीर्शक ‘‘2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण-001-निदेषन तथा प्रषासन-05 अल्पसंख्यक कल्याण निदेषालय के अधिश्ठान

धनराषि लाख ` में

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क््र0स0 | मानक मद का नाम | प्राविधानित धनराषि | पूर्व में अवमुक्त धनराषि | वर्तमान मांग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 25-उपयोगिता बिलों का भुगतान | ` 2.00 लाख | ` 1.00 लाख | ` k1.00 लाख |
| 2 | 29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईधन आदि की खरीद | `7.00 लाख | `3.50 लाख | `3.50 लाख |
| 3 | 30-आतिथ्य व्यय | `0.50 लाख | `0.25 लाख | `0.15 लाख |
|  | योग | `9.50 लाख | `4.75 लाख | `4.65 लाख |

(रूपये चार लाख पैंसठ हजार मात्र)

(एल.फैनई)

प्रमुखसचिव।